अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर द्वारा दिनॉक 15.12.2022 (वृहस्पतिवार) को पेंशन अदालत आयोजित की जायेगी। इसी के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के सभी पेन्शनरों/परिवारिक पेन्शनरों को इस समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अपनी पेन्शन सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु अपना प्रतिवेदन, जिस कार्यालय से समापक भुगतान प्राप्त किये है उस कार्यालय में निम्न प्रारूप पर दिनॉक 31.10.2022 तक जमा कर/भेज सकते है :–

1. आवेदक/आवेदिका का नाम .....
2. भूतपूर्व कर्मचारी का नाम .....
3. भूतपूर्व कर्मचारी का पदनाम .....
4. भूतपूर्व कर्मचारी का कार्यस्थल .....
5. भूतपूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्त तिथि/मृत्यु तिथि .....
6. बैंक विवरण (खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड व बैंक का नाम).....
7. पी0पी0ओ0 की छायाप्रति।
8. आधार कार्ड की छायाप्रति।
9. मोबाईल संख्या.....ई मेल आई डी.....
10. पेंशन सम्बन्धी दावा.....
    .....
    .....
11. पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित).....
    ...

नोटः– मुख्यालय स्तर पर पेंशन अदालत रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर मे दि0 15.12.2022 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ होगी। दिनॉक 31.10.2022 के बाद प्राप्त आवेदनो/ प्रतिवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर